फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

सरोज वगै. बनाम मीना देवी वगै.
किस्म मुकदमा : अपील नामान्तकरण
मुकदमा नम्बर : 8/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के जरिये नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 20.03.2018 तस्दीक द्वारा ग्राम पंचायत भांकरी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम भांकरी तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 248 के पूर्व खातेदार अपीलान्ट के पिता रामोतार पुत्र दामोदरप्रसाद थे। अपीलान्ट के पिता के देहान्त के पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 लगाय 5 द्वारा राजस्व अधिकारियों से साज कर अपीलान्ट के पिता रामावतार की विरासत का नामान्तकरण फर्जी तरीके से नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.08.2010 के जरिये अपने नाम खुलवा लिया व उक्त नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 लगायत 5 द्वारा उक्त आराजी का विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में करवा दिया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी अधिकारों की अधिघोषणा हेतु वाद न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष उनवानी सरोज आदि बनाम उर्मिला आदि पेश किया जो विचाराधीन है किन्तु उक्त वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए अपीलान्ट की उक्त वर्णित पैतृक आराजी का नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 20.03.2018 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के हक में ग्राम पंचायत भांकरी के सरपंच से नाजायज सांठ गांठ कर गुपचुप में पोशीदा रूप से खुलवा लिया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण विचारण वाद खोला गया है, जो स्पष्टतया लिसपेन्डेन्सी के सिद्धान्त से ग्रसित होने के कारण निरस्तनीय है। आराजी वादग्रस्त अपीलान्ट की पैतृक आराजी है, जिस पर अपीलान्ट अपने हक व हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होती चली आ रही हैं। किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 अपने हक में खोले गये अपीलाधीन नामान्तकरण की आड में अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने व निर्माण कार्य कर भूमि की प्रकृति को बदलने व दीगर लोगों को रहन बय हस्तान्तरण करने पर आमाद है। ऐसी सूरत में नामान्तकरण निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण की अपीलान्ट	उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

को पूर्व जानकारी नहीं हो सकी किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की व ऐलानिया कहा कि उक्त आराजी का नामान्तकरण उसके नाम पंचायत द्वारा खोल दिया गया है तब मालूम किया व नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 19.07.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। यदि अपील अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गयी। तहसीलदार दौसा से अपीलाधीन नामान्तरण की एक प्रमाणित प्रति तलब की गयी।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त फरमाने का निवेदन किया। बहस के दौरान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। जब तक विक्रय पत्र प्रभाव में है तब तक नामान्तकरण खारिज नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी थी किन्तु अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य संतोषजनक नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट की ओर से यह अपील नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 20.03.2018 ग्राम भांकरी, तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। अपीलान्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम भी पृथक से पेश कर अपील पेश करने में हुयी देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए अपील मियाद बाहर पेश किया जाना बताया है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 19.07.2019 को हुयी है। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के समर्थन में शपथ पत्र भी पृथक से पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन अपील दिनांक 25.07.2019 को न्यायालय हाजा में दर्ज हुयी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विचाराधीन अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रकरण में तहसीलदार दौसा द्वारा प्रेषित अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अपीलाधीन

उपखण्ड
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण संख्या 463 ग्राम भांकरी दिनांक 20.03.2018 को सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र स्वीकृत हुआ है। अपीलान्ट ने आराजी वादग्रस्त अपीलान्ट की पैतृक आराजी होना बताया है किन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण में कहीं भी अपीलान्ट के पिता के अन्य वारिसान का अंकन नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मीना देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सीता देवी पत्नी रामचरण जाति ब्राह्मण के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विचारण वाद खोला गया है, जो कि निरस्तनीय है किन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के स्थगन आदेश की क्रियान्विति मा॰ न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा स्थगित किया जाना अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण में कहीं भी अपीलान्ट के पिता के अन्य वारिसान का अंकन नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के स्थगन आदेश की क्रियान्विति को मा॰ न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा स्थगित किये जाने के उपरान्त स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र स्वीकृत किया गया है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रभाव शून्य होने संबंधी कोई दस्तावेज भी अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 463 ग्राम भांकरी जो कि दिनांक 20.03.2018 को सरपंच, ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा तस्दीक किया गया है, में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है एवं विचाराधीन अपील के जरिये अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य न होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Scanned with OKEN Scanner